न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर– 2025/1413

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण,
2. कैलाश पुत्र श्योकरण,
3. राजवीर पुत्र श्योकरण,
4. सुभाष चन्द्र पुत्र श्योकरण,
समस्त जाति जाट, निवासी मेहाडा जाटूवास, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनूं।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।
2. मूर्ति मंदिर श्री गोपाल जी (ठाकुर जी) जरिये पुजारी, ग्राम पोस्ट बागौर, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 14.05.2025 अपील संख्या 06/2025 उनवानी ओमप्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व नायब तहसीलदार खेतडी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 09.10.2024 प्रकरण संख्या 10/2024 में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री लालचन्द जाट, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट नं. 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 31.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2025 एवं नायब तहसीलदार खेतडी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 09.10.2024 के खिलाफ दिनांक 30.05.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 09.10.2024 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत् 2081 में वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास के आराजी खसरा नम्बर 585 रकबा 0.40 है0, किस्म चाही–1 के रकबा 0.34 है0 भूमि पर गैर सायलान ओमप्रकाश, कैलाश, राजवीर, सुभाष पुत्रान श्योकरण जाति जाट, निवासी मेहाड़ा जाटूवास, तहसील खेतड़ी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा राजकीय भूमि पर पूर्ण खसरों के चारों तरफ तारबन्दी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने पर 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. नायब तहसीलदार खेतडी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 09.10.2024 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार खेतडी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं दिनांक 09.10.2024 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को तोड मरोड कर वास्तविकता के विपरीत होने तथा परवर्ष आर्बीट्रेरी एण्ड कान्ट्रेरी टू लॉ एवं न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्तों (सुनवाई का अधिकार) के विपरित होने से निरस्तनीय हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रकरण को बिना देखे व समझे वगैर एवम् बिना न्यायिक माईण्ड अपलाई किये व वास्तविक तथ्यों व स्थापित विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय पूर्णतः प्रकिया विधि का उल्लंघन करते हुए मनमर्जी से पारित किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया का पूर्णतः दुरूपयोग है और ऐसा निर्णय हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्तविक तथ्यों व राजस्व रिकार्ड के विपरित बिना कोई एक्वीजेशन की कार्यवाही किये मनमर्जी से पारित किया गया है और ऐसा आदेश प्रारम्भ से प्रभाव शून्य अर्थात् एबनिसीयो वॉइड होता है। जिसकी कानूनी रुप से कोई महत्ता नही रहती और काबिले निरस्त है। न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी ने दिनांक 09.10.2024 को निर्णय पारित कर जमीन खसरा नम्बर 585 रकबा 0.40 है0, किस्म चाही–1 के रकबा 0.34 है0 भूमि वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास से बेदखल करने व 650/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 585 रकबा 0.40 हैक्टर वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास के गत खसरा नम्बर 718 व उससे पूर्व के खसरा नम्बर 1018/1 मीन वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास थे। उक्त जमीन पहले ठिकाने के समय में खतौनी में अपीलान्ट्स के पूर्वहकधारी आदि की खातेदारी में दर्ज थी। खतौनी सम्वत् 2008 है। जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2035 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2044 तक के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स के पूर्वहकधारी आदि की खातेदारी में रही है व यह जमीन अपीलान्ट्स के पूर्वहकधारी ने तत्कालीन ठिकाना खेतड़ी से बतौर काश्त हेतु ली थी। बाद में ठिकाने मूर्ति मन्दिर बागोर की माफी देने पर लगान मूर्ति को दिया व माफी खालसा होने पर राजस्थान सरकार को अदा किया गया। पूर्वजों के बाबत तथ्य जवाब नोटिस में दर्ज किये है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से अपीलान्ट्स के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज थी। माफी खालसा होने के बाद खतौनी सम्वत् 2018 से 2031 में अपीलान्ट्स के पूर्वजों की दर्ज की गई। इस प्रकार सम्वत् 2035 तक के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज होती रही। बाद में भू–प्रबन्ध विभाग ने क्षेत्राधिकार के बाहर अवैध रूप से मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी (श्री गोपाल जी) के नाम इन्द्राजात विधि विरुद्ध दर्ज कर दिये। खातेदारी निरस्त करने व प्रदान करने का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नही है। इस कारण खतौनी सम्वत् 2044 से 2063 व उसके आधार पर बना राजस्व रिकार्ड अवैध व शून्य है अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की खुद काश्त में कभी भी नही रही व न दर्ज हुई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी खत्म करते हुए अन्य को खातेदारी प्रदान करने का हक नहीं है। और निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के समक्ष एक दावा विचाराधीन है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजर अंदाज रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर गंभीर विधिक भूल की है जिसे दुरूस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित विभिन्न आदेश जो कि मौजूदा प्रकरण से संबंध रखते है के फैसलों की प्रतियां बतौर रूलिंग प्रस्तुत की। उपरोक्त सभी रूलिंग में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान अजमेर ने जागिरों के अधिग्रहण के समय माफी मन्दिर की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम से दर्ज थी, उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त होना माना है। उपरोक्त सभी रूलिग्स पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा उनके विपरित अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त भूमि स्वीकृत रूप से कृषि भूमि है तथा विवादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि भी नही है तथा विवादग्रस्त भूमि गैर मु० भूमि भी नही है। विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि होने व सरकारी भूमि नही होने के आधार पर भी लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत तहसीलदार को किसी काबिज कृषक को बेदखल करने का अधिकार नही है, उपरोक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए क्षेत्राधिकार विहिन आदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है। धारा 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत किसी खातेदार को कब्जा दिलाने के लिए तहसीलदार को कार्यवाही करने का कतई कोई अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए भी उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही क्षेत्राधिकार बाहर की गई है जिसे योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर गंभीर भूल की है जो दुरूस्त करने योग्य है। RRD 1984 page 284 में श्री. स. फारुक हसन सदस्य द्वारा कालू बनाम प्रेमदास (97) निगरानी नं० 131/उदयपुर/77, निर्णित दिनांक 27.07.83 में अभिनिर्धारित किया है कि :– राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, धारा 91 एवं 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 183 तहसीलदार ने विपक्षी के आवेदन पत्र पर जिसे जिलाधीश ने मन्दिर की खातेदारी की भूमि से अतिक्रमियों (प्रार्थीगण) को बेदखली के लिए भेजा, निष्कासन का आदेश दिया अति0 ज़िलाधीश एवं आर. ए. ए. ने अपीलें यह मानकर अस्वीकार की कि प्रशासनिक आदेश अपील योग्य नहीं–तय किया गया कि नाजायज़ कब्जे को तह. धारा 91 के अन्तर्गत तब ही हटा सकता है जबकि भूमि सरकारी हो– यदि भूमि सरकारी न हो तो तह. कब्जा हटाने के लिए सक्षम नहीं– निष्कासन आदेश या डिक्री खातेदारी भूमि के बाबत धारा 183 के अन्तर्गत केवल ए. सी. या एस. डी. ओ. द्वारा ही पारित किये जा सकते हैं अतः कोई भी जिलाधीश प्रशासनिक रूप में बेदखली की कार्यवाही के लिए सक्षम नहीं जिलाधीश को ऐसे आवेदन पत्र पर कोई कोगनोजस नहीं लेना चाहिए था बल्कि विपक्षी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिए हिदायत देनी चाहिए थी तहसीलदार द्वारा जिलाधीश के अवैध आदेश के पालन में बेदखली का आवेश एवं अति. जिलाधीश व आर. ए. ए. के सरासर गलत आदेश, निरस्तनीय–तह. का प्रत्येक आदेश धारा 75 के अन्तर्गत अपील योग्य एवं तह. का अवैध आदेश अपील न्यायालय द्वारा निरस्तनीय विपक्षी द्वारा काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही, वांछनीय 1975 द्वार. आर. डी. 406 एवं 1983 आर. आर. डी. 563 का अनुसरण किया गया बिना अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कानून की दृष्टि में कोई निर्णय नहीं, जैसा कि 1961 आर. आर. डी. 24 एवं 1962 आर. आर. डी. 221 में तय किया गया।

विपक्षी प्रेमदास ने दिनांक 16.07.76 को एक प्रार्थना–पत्र जिलाधीश, उदयपुर को इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 510, 510 कुल किला क्रमशः 48 (बीघा 57) बीघा एवं 3 बीघा 5 बिस्वा मन्दिर श्री नरसिंह जी महाराज की खातेदारी की है। भूमि खसरा नम्बर 10 पर कालू, मोती व रंगलाल ने नाजायज कब्जा कर रखा है कालू, भगवान, हजारी, गोरधन, है अतः उनको बेदखल किया जाये। इस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र को जिलाधीश, उदयपुर ने तहसीलदार आमेट को बेदखली के लिये भिजवा दिया। तहसीलदार आमेट ने काबिजान को नोटिस दिया, जिसमें केवल 2 व्यक्ति काल व हजारी की तामिल हो पाई, तत्पश्चात् तहसीलदार आमेट ने दिनांक 28.07.76 को बेदखली के आदेश जारी कर दिये। इस आदेश की तहसीलदार के विरुद्ध अतिरिक्त जिलाधीश के यहां अपील पेश की गई और अतिरिक्त जिलाधीश, उदयपुर ने दिनांक 26.04.77 को यह लिखते हुए अपील अस्वीकार कर दी कि तहसीलदार का आदेश प्रशासनिक आदेश की परिभाषा में आता है जिसकी अपील का कोई प्रावधान नहीं है। राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर ने भी अपने आदेश दिनांक 27.05.77 के द्वारा तहसीलदार के आदेश को प्रशासनिक आदेश मानकर द्वितीय अपील को विचारार्थ ही स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार अब यह निगरानी प्रस्तुत की गई। पक्षकारान के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के सम्बन्ध में जो तथ्य ऊपर लिखे गये हैं उससे यह बात तो भलीभांति विदित है कि विवादग्रस्त भूमि मन्दिर की खातेदारी में बताई गई है और प्रार्थीगण का कब्जा कर लेना भी स्वीकार किया गया है। आज भी पक्षकारान यह बात स्वीकार करते हैं कि विवादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि नहीं है। उपरोक्त तथ्यों की मौजूदगी में देखना यह है कि इस प्रकार के मामले में बेदखली के सिलसिले में क्या कोई आदेश जिलाधीश अथवा तहसीलदार द्वारा दिया जा सकता है। नाजायज कब्जे को तहसीलदार उस स्थिति में धारा 91, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत हटा सकता है जबकि विवादग्रस्त भूमि सरकारी हो। यदि भूमि सरकारी नहीं है तो तहसीलदार कब्जा हटाने के लिए सक्षम नहीं है। खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में बेदखली का आदेश अथवा डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है और इस धारा के तहत सहायक जिलाधीश अथवा उप-जिलाधीश को ही सक्षम न्यायालय करार दिया गया है। ऐसी सूरत में कोई भी जिलाधीश प्रशासनिक दृष्टि से भी बेदखल करने या बेदखली की कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। मौजूदा मामले में जब विवादग्रस्त भूमि मूर्ति की खातेदारी में बताकर प्रार्थीगण के नाजायज कब्जे को हटाने की बात कही गई है तो ऐसी सूरत में जिलाधीश, उदयपुर को प्रार्थना पत्र पर कोई कोगनीजेन्स नहीं लेना चाहिये था बल्कि उनका यह कर्तव्य था कि वे विपक्षी प्रेमदास को यह हिदायत करते कि वे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें। जिलाधीश के अवैध आदेश की पालना में तहसीलदार आमेट ने जो बेदखली के आदेश दिनांक 28.07.76 को पारित किया को भी अवैध करार पाता है और ऐसी सूरत में अतिरिक्त जिलाधीश एवं राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर का यह मानना है कि प्रशासनिक आदेश की अपील नहीं हो सकती, कतई गलत है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 75 के तहत तहसीलदार का प्रत्येक आदेश अनील के योग्य होता है। तहसीलदार आमेट ने जब एक अवैध आदेश दे दिया था तो फिर अपील अदालत का यह कर्तव्य था कि वह अवैध आदेश को निरस्त करें परन्तु अपील अदालतों ने एक साधारण बात लिख कर इस प्रकार के अवैध आदेश पर कोई विचार नहीं किया। जैसा कि ऊपर तय किया गया कि मौजूदा मामले में जिलाधीश, उदयपुर एवं तहसीलदार आमेट द्वारा अवैध आदेश पारित किये गये और विपक्षी ने गलत अदालत में चाराजोही की ! विपक्षी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिये थी ऐसे ही फैसले पूर्व में राजस्व मण्डल द्वारा किये जा चुके हैं जो 1975 आर. आर. डी. 406, 1983 आर. आर. डी. 563 में रिपोर्ट हो चुके हैं। में इन फैसलों से पूरी तरह इत्तफाक करता हूँ। यदि कोई फैसला किसी ऐसे न्यायालय से होता है कि जिस न्यायालय को उस फैसले को करने का अधिकार नहीं है, ऐसा फैसला कानून की नजर में कोई वजन नहीं रखता। यह बात 1961 आर. आर. डी. 24 व 1962 आर. आर. डी. 221 में तय की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विपक्षी के योग्य अभिभाषक ने अधिकार क्षेत्र के बारे में जो अनियमितता बरती गई उसका तो अपनी बहस के दौरान कतई खण्डन नहीं किया। उनका यह तर्क था कि अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश दिनांक 26.04.77 के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की ओर से नजरसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.77 को अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी सन् 1955 में प्रार्थीगण को यह आदेश दिये थे कि प्रार्थीगण खातेदारी के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। उनका यह भी तर्क था कि जिलाधीश के आदेश दिनांक 17.07.76 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी सूरत में आदेश दिनांक 01.08.77 व दिनांक 17.07.76 तथा आदेश राज्य सरकार जो सन् 1955 में दिया गया कि मौजूदगी में यह निगरानी चलने योग्य नहीं है। मैं विपक्षी के योग्य अभिभाषक के उपरोक्त तर्क से सहमत नहीं हूँ। उपरोक्त आदेश भी अवैध कार्यवाही में जारी किये गये हैं जब प्रकरण की शुरूआत ही गलत ठहरती है तो फिर इस प्रकरण में जो भी आदेश होगा वहगल जब प्रकरण दिया जायेगा और इसलिए जिलाधीश के आदेश दिनांक 17.07.76 व अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश दिनांक 01.08.77 को भी अवैध ठहराया जाता है। राज्य सरकार के आदेश के बाद बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का आदेश इस प्रकरण में कोई प्रभाव नहीं डालता है। राज्य सरकार का आदेश एक निर्देश की शक्ल में है। प्रार्थी के योग्य अभिभावक ने मेरा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि विवादग्रस्त भूमि के सिलसिले में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हुई है और अतिरिक्त जिलाधीश एवं राजस्व अपील अधिकारी के विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जो निर्णय हुए हैं उनका मैंने अध्ययन किया। ये दोनों निर्णय इस निगरानी के मूल बिन्दु अर्थात् अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में तो नहीं है परन्तु यह जरूर सिद्ध होता है कि विवादग्रस्त भूमि के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही चली और ऐसी सूरत में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही को अवैध कहा जा सकता है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र निगरानी स्वीकार किया जाकर जिलाधीश, उदयपुर के आदेश दिनांक 17.07.76, तहसीलदार, आमेट के आदेश दिनांक 28.07.76, अतिरिक्त जिलाधीश, उदयपुर के आदेश दिनांक 26.04.77 व दिनांक 01.08.77 तथा राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के आदेश दिनांक 27.05.77 निरस्त किये जाते हैं। अन्य व्यक्ति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सांठ गांठ कर उपरोक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत इस आदेश की आड में फायदा उठाकर अपीलान्टस जो कि ग्रामीण अशिक्षित गरीब काश्तकार व्यक्ति है को जबरन बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे है इसी क्रम में उपरोक्त तथाकथित आदेश पारित करवाकर अपीलान्टस को बेदखल करवाना चाहते हैं, जबकि अपीलान्ट कमजोर एवं सीधे सादे किसान है जो उक्त का सामना करने मे असमर्थ है, इसलिए भी अपीलान्ट को उसके विधिक हक अधिकारों एवम् उसके खातेदारी की कृषि भूमि की रक्षार्थ यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों दस्तावेजात हाल व गत नक्शा, जमाबन्दी को अनदेख करते हुए अपीलान्टस की अपील गलत रूप से खारिज कर दी गई, जबकि वास्तविकता का निर्धारण विचाराधीन नियमित वाद के माध्यम से ही समाव है जिसमें योग्य अधीनस्थ तहसीलदार महोदय भी बतौर पक्षकार है इसके बावजूद भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन नियमित वाद को सारहीन करने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे योग्य अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा बहाल रख कर गंभीर भूल की है, इसलिए अपीलाधीन आदेश हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

भूमि विवादग्रस्त को योग्य अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा सरकारी भूमि मानते हुए कथन किया कि " अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मेहाडा जादूवास के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायलान को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व मेहाड़ा

जाटूवास स्थित राजकीय भूमि सम्पूर्ण पर से बेदखल किया जाता है " उक्त आदेश मनमर्जी का व बिना किसी साक्ष्य सबूत के एवं बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये ही केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है जिसे बहाल रखकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा बहाल रख कर गंभीर भूल की है, इसलिए अपीलाधीन आदेश हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 अपील संख्या 06/2025 उनवानी ओमप्रकाश व अन्य बनाम तहसीलदार, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं जिसके द्वारा नायब तहसीलदारं खेतडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2024 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश मि.न. 10/2024 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत् 2081 में वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास के आराजी खसरा नम्बर 585 रकबा 0.40 है0, किस्म चाही-1 के रकबा 0.34 है0 भूमि पर गैर सायलान ओमप्रकाश, कैलाश, राजवीर, सुभाष पुत्रान श्योकरण जाति जाट, निवासी मेहाड़ा जाटूवास, तहसील खेतड़ी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा राजकीय भूमि पर पूर्ण खसरों के चारों तरफ तारबन्दी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 09.10.2024 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2025 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलंदार खेतडी की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 24.06.2024 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा संवत् 2081 में वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास के आराजी खसरा नम्बर 585 रकबा 0.40 है0, किस्म चाही-1 के रकबा 0.34 है0 भूमि पर गैर सायलान ओमप्रकाश, कैलाश, राजवीर, सुभाष पुत्रान श्योकरण जाति जाट, निवासी मेहाड़ा जाटूवास, तहसील खेतड़ी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा राजकीय भूमि पर पूर्ण खसरों के चारों तरफ तारबन्दी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतडी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 09.10.2024 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए निर्णय पारित किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2025 में यह माना है कि अपीलान्ट द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय भूमि पर पूर्ण खसरों के चारों तरफ तारबन्दी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन राजकीय भूमि पर पूर्ण खसरों के चारों तरफ तारबन्दी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में राजकीय भूमि पर पूर्ण खसरों के चारों तरफ तारबन्दी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2025 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतडी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.10.2024 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2025 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतडी, जिला नीमकाथाना, हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.10.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर